

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)के-942/2013/अलेसे-III/3083

दिनांक :- 29/03/2022

कार्यालय आदेश

श्री , कुमार रवि गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी, झालावाड़ एवं वर्तमान पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या 291/2020 (भृष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 एवं 7 ए तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ए)में दोषी पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा द्वारा सूचित किये जाने पर दिनांक 27.10.2021 को अभियोजन स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्री कुमार रवि गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इन्हें निलम्बन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम के नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, कोटा किया जाता है, जहां ये नियमित रूप से उपस्थिति देंगे।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)के-942/2013/अलेसे-III/3083

दिनांक :- 29/03/2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा।
2. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोटा।
4. श्री कुमार रवि गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा।
7. पदस्थापन शाखा/ निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)